राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.12(03)नविवि/दौसा–बांदीकूई/2025–15369 जयपुर, दिनांकः–यथा हस्ताक्षरित

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 राजस्थान अधिनियम सं. 35 सन् 1959 की धारा 32 उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, एतदद्वारा घोषित करती है कि नगर विकास न्यास, दौसा–बांदीकूई द्वारा राजस्व ग्राम खेडली सुरजपुरा के खसरा न. 952/506, 951/506, 501/872, 503/873, 505/874, 507, 509 कुल रकबा 46.62 है0 में "दीनदयाल उपाध्याय योजना" बहुउद्देशीय आवासीय योजना विकसित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

प्रस्तावित योजना की सीमायें निम्नानुसार हैः–

उत्तरः– ग्राम खेडली सुरजपुरा के खसरा न. 952/506 को सम्मिलित करते हुए।

दक्षिणः– ग्राम खेडली सुरजपुरा के खसरा न. 952/506, 507, 509 को सम्मिलित करते हुए।

पूर्वः– ग्राम खेडली सुरजपुरा के खसरा न. 952/506 पार्ट को सम्मिलित करते हुए 505/874, 503/873, 501/872 को सम्मिलित करते हुए इसकी लाइन में खसरा न. 260 को छोडते हुए।

पश्चिमः– ग्राम खेडली सुरजपुरा के खसरा न. 952/506 को सम्मिलित करते हुए।

उपरोक्त योजना क्षेत्र में **प्रस्तावित 60 मीटर चौड़ी बायपास सड़क, प्रस्तावित बाय पास के समानांतर 30 मीटर चौड़ी वृक्षारोपण पट्टी को यथावत रखते हुए परिधि नियंत्रण पट्टी प्रयोजनार्थ आरक्षित भाग में परिधि नियंत्रण पट्टी में DPCR के अनुसार अनुमत उपयोगों के अनुरूप ही प्रस्तावित योजना में उपयोग प्रस्तावित किया जावे।**

उपरोक्त योजना क्षेत्र का विवरण और नक्शा नगर विकास न्यास, दौसा–बांदीकूई के कार्यालय में उपलब्ध है। तथा किसी भी कार्य दिवस में सायं 03.00 बजे से 5.00 बजे तक देखा जा सकता है।

उक्त अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के प्रकाशन तिथि से 6 माह तक प्रभावशाली होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रवि विजय)
शासन उप सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।

RajKaj Ref No.:
18650663

eSign DSC

2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
6. जिला कलक्टर, दौसा।
7. सचिव, नगर विकास न्यास, दौसा–बांदीकूई।
8. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पूर्व), राजस्थान, जयपुर।
9. वरिष्ठ नगर नियोजक, जयपुर जोन, जयपुर।
10. प्रौग्रामर, नगरीय विकास विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक .... में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाने जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव–प्रथम

Signature Not Verified

Digitally Signed by Ravi Vijay
Designation : Deputy Secretary To Government
Date :07-11-2025 03:51:12